न्यायालय लेण्डरिकोर्ड एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :- बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या. 39/2025

किस्म :- प्रार्थना-पत्र

दायर दिनांक : 09.03.2026

निर्णय दिनांक : 18.05.2026

अनवान

1- देवा पुत्र भना जाति भील निवासी खटुकडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

2- रतु पुत्र भना जाति भील निवासी खटुकडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

प्रार्थीगण

बनाम

1- राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमंद

विपक्षी

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत्

उपस्थित :- अधिवक्ता श्री रमेश चन्द्र अहीर

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी, आधिपत्य की भूमि ग्राम खटुकडा तहसील रेलमगरा के आराजी नम्बर 2210/1312 कुल किता 01 रकबा 0.4047 हैक्टेयर भूमि है। प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण के विपक्षीगण पडौसी है किन्तु आये दिन मौके पर सीमा नष्ट करते रहते है इसी वजह से मौके पर आये दिन भूमि के सीमांकन को लेकर झगडा फसाद होता रहता है, उक्त विवाद समाप्त कराये जाने हेतु मौके पर पत्थर गढ़ी कराया जाना आवश्यक है ताकि विपक्षी एवं प्रार्थी के मध्य बाड को लेकर मौके पर कोई विवाद पैदा नही होवें। मौके पर आये दिन डिर्मार्केशन को लेकर पक्षकोरो के मध्य विवाद होता रहता है विवाद को समाप्त करने के लिए यह यही न्यायोचित होगा कि मौके पर पक्षकारों के मध्य भूमि कि नपती करायी जावे एवं नपती करने के बाद मौके की स्थिति के अनुसार मीनार लगाई जावे ताकि प्रार्थी एवं विपक्षी के मध्य भविष्य मे इस प्रकार की विवाद उत्पन्न नही होवें।

अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की भूमि जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 01 मे किया गया है, जिसके पडौस मे विपक्षीगण की भूमियो के मध्य स्थाई सीमांकन चिन्ह (पत्थरगढी) कराई जावे एवं मौके पर मीनारबन्दी कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। विपक्षी द्वारा कोई नही जवाब प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया की प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौके पर विवादित जमीन की पत्थरगढी करा सीमाचिन्ह अंकित किये जाते है तो विपक्षीगण को कोई आपत्ति नही है, विपक्षीगण पत्थरगढी करा सीमाचिन्ह अंकित कराने के लिए तैयार है। प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई।

दोनों पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया प्रस्तुत जमाबन्दी से प्रार्थीगण खातेदार होना जाहिर हैं एवं विपक्षीगण द्वारा भी प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया हैं वैसे भी प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में पत्थरगढी करने पुर्ण अधिकार है जिसे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र का स्वीकार किया जाने का योग्य पाता हॅु ।

:: आदेश ::

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम [illegible] तहसील रेलमगरा में प्रार्थी की आराजी नम्बर 2210/1312, भूमि में पत्थरगढी किये जाने हेतु मौका कमिश्नर तहसीलदार रेलमगरा को नियुक्त किये जाते है पडौसी खातेदारान की उपस्थिति में यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो, एंव मौके पर निर्माण नही हो, वक्त पत्थरगढी किसी के कब्जे को दखल नही करते हुऐ, किसी प्रकार का कब्जा सिपुर्द नही किया जावे। राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत उक्त भूमि की पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट मय मौका पर्चा,नक्शा ट्रेस समयावधि के तहत न्यायालय में प्रस्तुत करें। वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौका कमिश्नर शुल्क एक हजार रूपये अदा करे। तहसीलदार रेलमगरा पालना करा रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2026 को खुले न्यायालय मे आदेष मे सुनाया गया ।

(बिन्दुबाला राजावत)
लेण्ड रिकोर्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा